

साहित्य अकादेमी/SAHITYA AKADEMI

रवीन्द्र भवन / Rabindra Bhavan

35, फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली 110 001 / 35, Ferozeshah Road, New Delhi 110001

दूरभाष / Tel: +91-11-23386626, +91-11-23387064

फैक्स/Fax: +91-11-23382428

ई-मेल / E-mail : secertary@sahitya-akademi.gov.in वेबसाइट / Website : http://www.sahitya-akademi.gov.in

सं./No./सा.अ.SA. 61/10

11 मार्च/March 2014

साहित्य अकादेमी वार्षिक युवा पुरस्कार नियम THE ANNUAL SAHITYA AKADEMI YUVA PURASKAR RULES

1. सामान्य

- (1) यह पुरस्कार साहित्य अकादेमी (इसके पश्चात् जिसे 'अकादेमी' कहा जाएगा) द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में किसी भी भारतीय लेखक जिसकी आयु 35 वर्ष अथवा पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को उससे कम हो, की प्रथम पुस्तक अथवा सर्वश्रेष्ठ कृति को प्रदान किया जाएगा।
- (2) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जाएगी, जितनी अकादेमी समय-समय पर निर्धारित करेगी। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति-पत्र भी प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें पुस्तक के वैशिष्ट्य तथा अपनी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।
- (3) लेखक की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए।
- (4) पुरस्कार के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब चयन की अंतिम प्रक्रिया में कम-से-कम तीन पुस्तकें हों।

2. पुरस्कार के लिए विचारणीयता के मानदंड

(1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिए पुस्तक का संबद्ध भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट योगदान होना चाहिए। पुस्तक सृजनात्मक या समालोचनात्मक हो, किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए:

1. General

- (1) There shall be an award every year for the first book or the best book by a young Indian author, whose age is 35 or below on 1st January of the year of the award, first published in any of the languages recognised by the Sahitya Akademi (hereafter referred to as the Akademi).
- (2) The award shall consist of such amount as the Akademi may from time to time decide besides a citation that brings out, briefly, the book's significance and its author's contribution to his/her language and literature.
- (3) The author must be of Indian Nationality.
- (4) The Award will be considered only if there is minimum of three books in the final stage of selection.

2. Criteria of eligibility for the Award

(1) In order to be eligible for the award, the book must be highly promising/an outstanding contribution to the language and literature to which it belongs. The book may be a creative or a critical work, but must not be

- (क) अनूदित कृति, अथवा
- (ख) संक्षिप्त; अथवा
- (ग) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिए तैयार किया गया प्रबंध या शोध-कार्य, अथवा
- (घ) ऐसे लेखक की कृति, जिसे अकादेमी से (बाल साहित्य पुरस्कार/अनुवाद पुरस्कार के अतिरिक्त) पहले भी पुरस्कार मिल चुका है, अथवा
- (ङ) ऐसे लेखक की कृति जो अकादेमी के कार्यकारी मंडल का सदस्य है, अथवा
- (च) पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को लेखक की आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
- (2) कोई समेकित कृति पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आपमें पूर्ण हो।
- (3) लेखक की मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित कृति पुरस्कार के लिए विचारणीय नहीं होगी।
- (4) ऐसी पुस्तक पुरस्कार के अयोग्य होगी, जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को यह विश्वास हो जाए कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिए समर्थन जुटाया गया है।

3.विज्ञापनों का प्रकाशन, पुस्तकों की अर्हता तथा पुस्तकों के लिए भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियाँ प्राप्त करना

- (1) अकादेमी प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं के उन युवा भारतीय लेखकों द्वारा लिखित उनकी प्रथम अथवा श्रेष्ठ पुस्तकों को पुरस्कृत करने हेतु समाचार पत्रों के साथ-साथ साहित्यिक पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन करेगी, जिन लेखकों की आयु 35 वर्ष अथवा पुरस्कार वर्ष में उससे कम हो।
- (2) लेखकों तथा प्रकाशकों द्वारा साहित्यिक गुणवत्ता वाली सुयोग्य पुस्तकों को जन्म-प्रमाण पत्र के साथ, अकादेमी में विचारार्थ जमा किया जा सकता है।
- (3) प्रकाशक अपनी इच्छानुसार चाहे जितनी भी पुस्तकें भेज सकते हैं।
- (4) लेखकों द्वारा जमा की गई पुस्तकों को लेखकों अथवा प्रकाशकों को वापस नहीं किया जाएगा तथा पुरस्कार प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

- (a) a work of translation; or
- (b) an abridgement; or
- (c) a treatise or research work prepared for a university degree or any examination; or
- (d) the work of an author who has earlier won an award from the Akademi (other than the Bal Sahitya Puraskar/Translation Prize); or
- (e) the work of an author who is a member of the Executive Board of the Akademi;or
- (f) beyond the age of 35 years on 1st January of the year of the award;
- (2) Any section of an integrated work complete by itself as a book can be considered for the award.
- (3) A posthumous publication is not eligible for Award.
- (4) A book shall be disqualified for the award if it is established to the satisfaction of the Executive Board that canvassing has been done by the author.

3. Publication of the advertisement, eligibility of the books and obtaining recommendations from members of the Language Advisory Board

- (1) The Akademi shall every year publish advertisements in newspapers as well as in literary magazines in each of the 24 Indian languages inviting the first book or the best book by young Indian authors whose age is 35 or below on 1st January of the year of the award.
- (2) Writers and publishers can submit eligible books of literary merit for the consideration of Akademi along with date of birth certificate.
- (3) The publishers can send as many books as they desire.
- (4) The books so submitted will not be returned to the authors or publishers and no correspondence will be entertained regarding the award process.

- (5) युवा पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक उस वर्ष साहित्य अकादेमी पुरस्कार हेतु मान्य नहीं होगी, किन्तु पुरस्कार वर्ष के अतिरिक्त आगामी अन्य वर्षों में लेखक द्वारा लिखित किसी अन्य पुस्तक को साहित्य अकादेमी पुरस्कार हेतु विचारार्थ भिजवाया जा सकता है।
- (6) 24 भारतीय भाषाओं में प्राप्त सुयोग्य पुस्तकों की सूची संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादेमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य—
 - (क) सूची से दोनों पुस्तकें, अथवा
 - (ख) एक पुस्तक आधार-सूची से और दूसरी अपनी रुचि की, अथवा
 - (ग) दोनों पुस्तकें अपनी रुचि की चुन सकता सकती है।

4. प्रारंभिक पैनल तथा उसके कार्य

- (1) प्रारंभिक पैनल में दस निर्णायक होंगे जिनका चयन अध्यक्ष द्वारा संबद्ध भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् किया जाएगा।
- (2) भाषा परामर्श मंडल के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियाँ संकलित करके प्रत्येक निर्णायक को भेजी जाएँगी।
- (3) प्रत्येक निर्णायक दो पुस्तकें अनुमोदित करेगा। ये पुस्तकें पूर्ववर्ती नियम 4(2) के अनुसार भेजी गई सूची में से चुनी जा सकती हैं अथवा निर्णायक द्वारा स्वयं अपने विवेक से।

5. जूरी और उसके कार्य

- (1) प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों की संस्तुतियों पर एक त्रि-सदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त संबद्ध परामर्श मंडल के सदस्यों की संस्तुतियों पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
- (2) प्रारंभिक पैनल के निर्णायकों द्वारा अनुशंसित पुस्तकें अकादेमी ख़रीद कर जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

- (5) The book selected for that year Yuva Puraskar will not qualify for Annual Sahitya Akademi Award. But the writer may be considered for any other book for the main award in other years except the Award-winning year.
- (6) The list of books received and found eligible in all the 24 Indian languages shall be sent to all the members of the concerned Language Advisory Board (including the Convener) with the request to recommend two titles each by such date as may be specified by the Akademi. A member may select:
 - (a) both the titles from the list, or
 - (b) one title from the list and the other on his/her own, or
 - (c) both the titles on his/her own.

4. The Preliminary Panel and its Functions

- The Preliminary Panel shall consist of ten Referes. These Referees shall be nominated by the President after considering suggestions of the members of the Language Advisory Board concerned.
- .(2) The recommendations received from members of the Language Advisory Board shall be compiled and sent to each Referee.
- (3) Each Referee should recommend two books. These titles may be selected either out of the list sent in pursuance of rule 4 (2) above or by the Referee on his/her own.

5. The Jury and its Functions

- (1) The recommendations of Referees in the Preliminary Panel shall be considered by a three-member Jury. The Jury members shall be selected by the President after considering the recommendations in this behalf by the members of the Language Advisory Board concerned.
- (2) The Akademi shall purchase the book(s) recommended by the Referees in the Preliminary Panel and send them to the Jury members and to the Convener.

- (3) संयोजक, जूरी और अकादेमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप से संपन्न हो। वह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा/करेगी। संयोजक की अनुपस्थिति में अकादेमी के अध्यक्ष सामान्य परिषद या परामर्श मंडल के किसी सदस्य को उनके स्थान पर नामित करेगा/करेगी।
- (4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मित से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिए पुस्तक को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की अनुशंसा करेंगे। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है। समस्त सदस्यों को बैठक में भाग लेना होगा, कोई सदस्य यदि किसी आकस्मिक कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता तो वह अपनी संस्तुति लिखित रूप में भेज सकता/सकती है। उन्हें चर्चा में भाग लेने हेतु दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

6. पुरस्कार की घोषणा

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिए कार्यकारी मंडल के समक्ष रखा जाएगा। पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अंतिम चरण में चुनी गई पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जाएगी।

7. विविध

- (1) यदि भाषा परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी की जाती है, तो अकादेमी यह मानकर चलेगी कि उसका/उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार-प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादेमी समय-सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो।
- (2) कार्यकारी मंडल/अध्यक्ष के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जाएगा।
- (3) यदि किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु उसे पुरस्कार प्रदान करने से पूर्व हो जाती है, तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति/पत्नी अथवा कानूनी वारिस को प्रदान किया जाएगा।

सचिव साहित्य अकादेमी

- (3) The Convener shall act as the link between the Jury and the Akademi. He/she will ensure that the meeting of the Jury is conducted properly and satisfactorily and will countersign the report of the Jury. In the absence of Convener, President can nominate a General Council or Advisory Board member as a replacement.
- (4) The Jury members shall, either by consensus or by majority, recommend a book for the award. They may also recommend that, in their opinion, no book is eligible for the award during the year. All the members have to attend the meeting, however, only in case of emergency he/she may convey his/her views in writing. He/she should be provided with the facility of participating in the discussion through phone.

6. Declaration of Award

(1) The recommendation of the Jury shall be placed before the Executive Board for formal approval and announcement of the award. The names of the Jury members and the shortlisted books in the final stage shall be made public simultaneously with the announcement of the Award.

7. Miscellaneous

- (1) If the time limit for submission of the recommendations is not observed by a member of the Language Advisory Board or by a Referee, the Akademi shall presume that he or she has no recommendation to make and shall proceed accordingly unless, in any particular case, it is in a position to extend the time limit and actually does so.
- (2) The award ceremony shall be held on such date and at such place as the Executive Board/President may decide.
- (3) In the event of the death of an award-winning author before conferment of the award, it shall be given to his/her spouse or to a legal heir.

Secretary Sahitya Akademi